

14



जेण्डर समानता और महिला अधिकार

पिछले अध्यायों में हमने लोकतंत्र व अधिकारों के विषय में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि एक सफल लोकतंत्र वह है, जिसमें समाज के सभी लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। हमने यह भी पढ़ा कि लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए नागरिकों के पास अधिकारों का होना जरूरी है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देशों में बहुत से अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों, खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी को समान महत्व दिया गया है या नहीं? जो अधिकार देश के संविधान व कानून द्वारा सबको दिए गए हैं, क्या महिलाएँ उन्हें वास्तव में उपयोग कर पा रही हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते? आइए, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ध्यान से देखिए—

चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें—

चित्र 1	चित्र 2
चित्र 3	चित्र 4
चित्र 5	चित्र 6
चित्र 7	चित्र 8

चित्र 1 में दिखाई गई सायकल का उपयोग कौन करता है?

चित्र 1 तथा 2 में दिखाई गई सायकल लड़के और लड़कियों के लिए अलग—अलग क्यों बनाई गई होंगी?

चित्र 3 व 4 में क्या अन्तर है और क्यों?

चित्र 3 व 4 में दिखाए गए दोनों हैंडबैगों का उपयोग कौन—कौन करते हैं?

चित्र 1 से 8 तक जो वस्तुएँ दिखाई गई हैं इन्हें लड़के और लड़कियाँ उपयोग कर सकते हैं या नहीं?

हमें हमारे आस—पास के समाज में लड़के और लड़कियों तथा महिलाओं और पुरुषों में भी कुछ स्पष्ट अन्तर दिखाई देते हैं। ये अन्तर शुरुआत से दिखने लगते हैं जैसे बचपन से लड़के और लड़कियों को एक खास तरह से व्यवहार करना, कपड़े पहनना, खेलना आदि सिखाया जाता है। घर में माता—पिता के द्वारा लड़कों को खेलने के लिए हवाई जहाज़, कार आदि दी जाती हैं जबकि लड़कियों को गुड़िया, बर्टन, चूल्हा—चौकी आदि दिए जाते हैं।

अगर आज हम गौर करें तो प्रतिदिन की छोटी—छोटी बातों में लड़के और लड़कियों में अन्तर दिखाई देता है, जैसे— व्यावहारिक तौर पर लड़कियों को भावुक समझा जाता है, वे विनम्र मानी जाती हैं। इसके विपरीत लड़के कठोर समझे जाते हैं। इन्हीं बातों का प्रभाव बाद में उनके जीवन पर पड़ता

है, जैसे— तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का क्षेत्र लड़कों के लिए उचित समझा जाता है; जबकि लड़कियों को शिक्षण, नर्स आदि कार्यों के लिए उचित समझा जाता है।

लड़की और लड़के के पालन—पोषण के दौरान कुछ मान्यताएँ उनके मन में बैठा दी जाती हैं, जैसे — घर के सभी कार्य करना, बच्चों का पालन—पोषण करना औरतों की जिम्मेदारी है; जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के सभी कार्य नहीं कर सकते। इस तरह के भेदभाव वाले पूर्वाग्रह को जेण्डर भेद कहते हैं।

जेण्डर क्या है?

मनुष्य का जन्म एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसे हम लड़का या लड़की के रूप में पहचानते हैं परन्तु शारीरिक बनावट व क्षमता के अनुरूप समाज द्वारा पुरुष एवं महिला के लिए विभन्न भूमिकाएँ एवं पहनावा मान्य किए गए जो धीरे—धीरे स्थिर होते गए। समाज द्वारा पुरुष एवं महिला के लिए निर्धारित इसी दृष्टिकोण को ही सामाजिक लिंगभेद या जेण्डर कहा जाता है।

नीचे लिखे शब्दों का सम्बन्ध आम तौर पर किससे जोड़ा जाता है? तालिका में भरें—

सुन्दरता, कोमलता, कठोरता, गुरुस्सा, सहनशीलता, बहादुरी, बातूनी, भावुक, शृंगार, मेहनत, बौद्धिक कार्य, गृह कार्य, बस चलाना, गाड़ी चलाना, कम्प्यूटर पर काम करना, तकनीकी कार्य।

लड़की	लड़का	दोनों

हमने जिन शब्दों को लड़कियों से जोड़ा है, उन्हें किन कारणों से लड़कियों के ही साथ जोड़ा है?

हमने जिन शब्दों को लड़कों के साथ जोड़ा है, इन्हें उनके साथ क्यों जोड़ा है?

हमने कुछ शब्दों को लड़के व लड़कियों दोनों के साथ जोड़ा है, क्यों?

बच्चे के जन्म के साथ ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग—अलग रूप में ढालने की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ होती हैं। समाज के द्वारा लिंगभेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। लिंगभेद पर आधारित भूमिकाओं के विभाजन को ही ‘जेण्डरीकरण’ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, समाज में यह माना जाता है कि पुरुष अधिक ताकतवर होते हैं, इसलिए वे कठोर तथा ताकत से जुड़े काम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह समाज में यह भी मान्यता है कि महिलाएँ स्वभाव से कोमल व दयालू होती हैं, इसलिए वे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह कर सकती हैं। आम तौर पर महिला—पुरुष की भूमिका का आधार जैविक बनावट को माना जाता है; किन्तु हमें यह जानना आवश्यक है कि इन भूमिकाओं का आधार केवल लैंगिक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। कुछ प्रचलित मान्यताएँ हैं, जो इन सामाजिक भूमिकाओं को बनाने में प्रभावी होती हैं।

जेण्डर शब्द से क्या अभिप्राय है?

क्या विनप्रता, कोमलता, सहनशीलता केवल महिलाओं में ही होती है? कारण सहित चर्चा कीजिए।

अभी तक हमने अध्ययन किया है कि जेण्डर भेद समाज द्वारा स्थापित मान्यताएँ हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जेण्डर के आधार पर श्रम तथा उसके मूल्य का विभाजन किस तरह होता है।

तीसरा लिंग – दुनिया में पुरुष व महिला के अलावा कुछ लोग शारीरिक रूप से पूर्णतः न पुरुष होते हैं और न महिला, जिन्हें तीसरा जेण्डर, जीपतक लमदकमतद्वा कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत जानकारी माँगने वाले प्रपत्रों में तीसरे लिंग का भी प्रावधान (चतवअपेपवद) होना चाहिए।

क्या श्रम का विभाजन लिंग आधारित है?

महिला व पुरुष के व्यवहार व जीवन के फैसले विभिन्न आधारों से प्रभावित होते हैं। उनमें से एक बड़ा आधार जैविक माना जाता है।

नीचे कुछ कार्यों की सूची दी जा रही है। कृपया बताएँ कि आपके अनुसार कौन से कार्य पुरुषों के लिए, कौन से कार्य महिलाओं के लिए तथा कौन से कार्य दोनों के लिए उपयुक्त हैं?

कार्यों की सूची—

क्र.	कार्य	केवल पुरुष	केवल महिला	दोनों
1.	कारखानों में काम			
2.	मजदूरी			
3.	नर्स			
4.	डॉक्टरी			
5.	वकालत			
6.	व्यापार			
7.	ब्यूटी पार्लर			
8.	ट्रैक्टर चालक			
9.	खेल			
10.	शिक्षकीय			

आपने जिन कामों को केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त चुना, ऐसा क्यों? आपस में चर्चा कीजिए।

जो काम आपने केवल महिलाओं के लिए चुना है, उन्हें पुरुष क्यों नहीं कर सकते?

आपने जो काम महिला और पुरुष दोनों के लिए चुना है, आप क्यों मानते हैं कि वह दोनों के लिए उपयुक्त है?

समाज द्वारा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को प्राकृतिक तौर पर देखा जाता है, जबकि केवल महिला का गर्भ धारण करना ही प्राकृतिक है। शेष जिम्मेदारियों का महिला व पुरुष के बीच बँटवारा समाज के द्वारा किया गया है। यह बँटवारा समाज में पुरुषों के अधिक प्रभाव के आधार पर हुआ है। इसमें महिलाओं को ऐसी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जो नीरस, उबाऊ तथा अधिक परिश्रम की माँग करती हैं। बच्चों के जन्म के बाद लालन—पालन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है। इस प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ घर का काम, जैसे— खाना बनाना, साफ—सफाई एवं अन्य कार्य भी महिलाओं की जिम्मेदारी बन जाती है। ये सब कार्य महिलाओं के कार्य कहलाते हैं। एक अलग नज़र से देखा जाए तो बच्चों के पालन—पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं है बल्कि पिता की भी है।

पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के सारे काम नहीं कर सकते। वे सोचते हैं, कि ये सभी काम करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। इस पारम्परिक सोच को बदलने की आवश्यकता है।

वहीं, इन सारे कार्यों के लिए अगर पैसे मिलते हैं तो पुरुष बाहर ऐसे काम करते हैं, जैसे— होटल में खाना बनाने और दुकानों में सिलाई का काम पुरुष करते हैं।

घर में श्रम के अतिरिक्त बाहर होने वाले श्रम के लिए जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन के निर्धारण में भी लिंग के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। महिलाओं को खेती या मज़दूरी के काम में भी पुरुषों से कम मज़दूरी दी जाती है। वहीं दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं को पूरे दिन कार्य करने पर भी सम्मानजनक मज़दूरी नहीं मिलती। सोचकर देखिए कि पुरुषों और महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन सही न करते हुए कम मज़दूरी देना कहाँ तक उचित है?

जेण्डर आधारित कार्य के समय में अन्तर

यह जानना रोचक होगा कि वास्तव में महिलाएँ कितने घण्टे कार्य करती हैं और पुरुष कितने घण्टे कार्य करते हैं? दोनों के कार्यों और काम के घण्टों में कितना अन्तर है? यह एक सर्वेक्षण से पता चलता है।

इसे जानने के लिए हम अध्याय – **आर्थिक क्रियाओं की समझ** में तालिकाओं को देखें।

आप अपने परिवार या आसपास रहने वाले परिवारों में भी महिलाओं व पुरुषों द्वारा दैनिक किए जाने वाले कार्यों एवं काम के घण्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं समूह में चर्चा करें।

अगर कोई पुरुष अविवाहित है और अपने घर में महिला एवं पुरुष द्वारा किए जाने वाले दोनों कार्यों को करता है तो उसमें उसका कितना अतिरिक्त समय लगेगा? यदि वहीं पुरुष तीनों समय का खाना होटल में खाए तो उसे प्रतिदिन कितने पैसे खर्च करने होंगे?

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ कार्य एवं पारिश्रमिक में भेदभाव किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर समान वेतन सम्बन्धी कानून बनाए गए हैं, फिर भी यह हक महिलाओं को अशासकीय क्षेत्र में नहीं मिलता। कृषि क्षेत्र में उन्हें न तो समान मज़दूरी दी जाती है और न ही कृषक समझा जाता है। असंगठित क्षेत्र में महिला को पुरुष की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत पारिश्रमिक ही दिया जाता है।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि श्रम रोज़गार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव और असमानता है। श्यामलाल के परिवार की तरह ऐसे न जाने कितनी की कहानियाँ हैं, जिनमें लड़कियाँ अशिक्षित रह जाती हैं; चूँकि परिवार में सारे निर्णय सिर्फ पुरुष लेते हैं, इस तरह महिलाओं का शोषण होते रहते हैं।

श्यामलाल ने जिस तरह के विचार व्यक्त किए और अपनी पत्नी रामबती को काम पर जाने से रोका, इस तरह के विचारों वाले लोग हमारे समाज में अधिक संख्या में हैं। ऐसे लोग पुराने समय से चले आ रहे रीति-रिवाज़ों तथा आदतों की वजह से ऐसा मानते हैं कि घर में या घर से बाहर निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुषों का ही होना चाहिए तथा महिलाओं को उनकी बातों को मानकर, बिना कोई प्रश्न किए, निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए।

क्या आपने सोचा है कि जिन रीति-रिवाज़ों को लोग मानते आ रहे हैं उन्हें किसने बनाया? पुराने रीति-रिवाज़ों से पुरुषों का वर्चस्व कैसे बढ़ता है? महिलाएँ ऐसे रीति-रिवाज़ों को क्यों नहीं तोड़ पातीं?

श्यामलाल अपनी पत्नी रामबती को बाहर काम करने के लिए जाने से किन कारणों से रोकते हैं? क्या यह कारण न्याय की दृष्टि से उचित है?

यदि श्यामलाल की पत्नी रामबती कारखाने या किसी और स्थान पर जाकर काम करती तो उसके परिवार की किन-किन स्थितियों में सुधार होता?

आपके विचार में श्यामलाल और उसकी पत्नी रामबती में किसकी बात सही थी और क्यों? शिक्षक के साथ चर्चा करें।

जेण्डर भेद के एक और पक्ष को समझने के लिए निम्नलिखित परिस्थिति पर विचार करते हैं—

श्यामलाल का परिवार नया रायपुर में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। श्यामलाल ही घर के मुखिया थे। किसी को भी अपनी राय देने का मौका नहीं मिलता था। पत्नी रामबती अगर कुछ सलाह भी दे तो वह झिड़क देते थे, “तुम घर के बारे में सोचो, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। रामबती सहनशील, समाज की परम्पराओं को मानने वाली महिला थी।

बच्चों की अच्छी परवरिश, बेटी की शादी का खर्च आदि भी जुटाना था। इसलिए वह अपने पति से कहती थी कि वह भी किसी फैक्टरी में काम करने जाएगी, इससे वह अपनी शिक्षा व हुनर का उपयोग भी कर पाएगी तथा परिवार की आय में अपना हाथ बटा पाएगी। श्यामलाल यह सुनकर गुस्से से कहते, “तू घर के बाहर काम करने जाएगी, गैर पुरुषों के साथ काम करेगी, समाज में मेरी फजीहत कराएगी? चुपचाप घर में रह, मैं जितना कमाता हूँ उतने में गुज़ारा कर। हमारे घर से आज तक कोई महिला कार्य करने बाहर नहीं निकली है।” उसकी पत्नी सोचती कि ये तो संकुचित विचार हैं, पर चुप हो जाती।

रुद्धियों को तोड़ने के प्रयास

ऊपर की कहानी में हमने देखा कि, रामबती ने पुराने विचारों को मान लिया तथा काम करने का विचार त्याग दिया। पूरी दुनिया के साथ—साथ भारत में भी 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से कई समाज सुधारकों, जैसे—राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर व ज्योतिबा फुले आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए पुराने विचारों तथा रुद्धियों का विरोध शुरू किया।

उदाहरण के लिए राजा राममोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ—साथ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए। ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई फुले ने कमज़ोर वर्गों के बीच शिक्षा व समाज सुधार के कई कार्य किए।

सावित्रीबाई फुले (1831–1897)



चित्र 14.2 : सावित्रीबाई फुले

सावित्रीबाई फुले के समय कमज़ोर वर्ग के लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और क्यों?

सावित्रीबाई फुले स्त्रियों तथा कमज़ोर वर्ग की मुक्ति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन क्यों मानती थीं?

भारतीय समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। वे ही समाज के नियम बनाते और धर्मनीति और पाप का भय दिखा कर नियमों का पालन करवाते थे।

इस समय स्त्रियों को शिक्षा, सम्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था।

स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा थी कि यदि वे पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएँगी। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रुद्धियों से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। सावित्रीबाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन—मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है।

सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। उन्होंने सन् 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इसके बाद उन्होंने सन् 1897 तक 17 स्कूल और खोले। सावित्रीबाई फुले खुद अनपढ़ थीं। अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग व प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना—लिखना सीखा था। वे अपने स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनीं। उन्होंने कमज़ोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों में नीतिबोध कथा, बालबोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मानचित्रों की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता था।

फुले दम्पति को विशेष वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा था। इन जातियों के प्रभावशाली लोगों के डर से ज्योतिबा के परिवार ने भी स्कूल बन्द करने का दबाव डाला तथा उन्हें घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई को विशेष वर्ग के लोगों ने कई तरह से प्रताड़ित किया। उनके स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के आँगन में गन्दगी फैला दी जाती थी। लोग उन्हें रास्ता चलते भला—बुरा कहते थे। उन्होंने इन सब बाधाओं और प्रताड़नाओं का शान्ति और दिलेरी से सामना किया वे अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं डगमगाई और लगातार अपना काम करती रहीं।

सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले नाटकों, गीतों, कविताओं जैसी ललित कलाओं द्वारा कई गतिविधियाँ करवाते थे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समाज सुधार और आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था।

सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थी, उनकी कविताओं में समाज के शोषित लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी। उनका काव्य संग्रह ‘काव्य फुले’ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्य में नवजागरण आन्दोलन का प्रारम्भ इसी पुस्तक द्वारा हुआ।

वे भारत की शुरुआती महिला समाज सुधारकों में से एक थीं। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोषित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया था।

सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए?

सावित्रीबाई फुले के स्त्री शिक्षा तथा समाज सुधार के प्रयासों का दूरगामी क्या प्रभाव पड़ा?

आपके विचार से ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ने में सहयोग और प्रोत्साहन क्यों दिया होगा?

महिलाओं का राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष

भारत में महिलाएँ कुल जनसंख्या की लगभग आधी हैं। क्या उनकी भागीदारी बराबर की है? क्या कोई लोकतंत्र आधी जनता, यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है?

दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की माँग की। महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार—बार



चित्र 14.3 : महिलाएँ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए

माँग उठाई और अन्तर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आन्दोलन के साथ भी जुड़ीं। सन् 1913 में बुडापेस्ट (यूरोप महाद्वीप) में होने वाले वयस्क मताधिकार गठबन्धन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया।

सन् 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी, तो महिलाओं ने अपनी माँगों के सम्बन्ध में कहा कि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

सन् 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सन् 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण किया गया। सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनने पर ही मिल पाया।

स्वतंत्रता के बाद जैसे—जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएँ केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों, जैसे—शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा व दहेज से मुक्ति, सम्पत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनैतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की माँग करने लगीं। पुत्र और पुत्री को पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार है — यह कानून सन् 1956 में बन गया था। इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति—रिवाजों को मानने वालों ने इसे परिवारों को बाँटने वाला कानून बताया। इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया। सन् 1956 के इस कानून में कई कमियाँ थीं जिन्हें दूर करने के लिए सन् 2005 में इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया।



चित्र 14.4 : महिलाओं का समान अधिकार का नारा



चित्र 14.5 : विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं का मानना है कि यदि उन्हें राजनैतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, तो वे अपने जीवन से जुड़े विषयों पर जनमत और कानून बनवा पाएँगी तथा अपने विषय में व्यक्तिगत तथा राजनैतिक निर्णय आसानी से ले पाएँगी।

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है?

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएँ कौन-कौन से अधिकारों की माँग कर रही थीं?


विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे— ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत हो गया है।

स्थानीय स्वशासन में महिला पंचों व सरपंचों को तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी कि महिला पंचों व सरपंचों द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने के लिए पुरुष मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। स्थानीय शासन की संस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं थे जिनसे वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पातीं तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सकतीं। यही वजह थी कि महिलाओं ने राज्य विधानसभा तथा संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग रखी। संविधान के 81वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया है। सभी राजनैतिक दल 33 प्रतिशत आरक्षण पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से राजनैतिक दलों में इस विधेयक के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है।

महिलाओं की लोकसभा में भागीदारी

लोकसभा	कुल सीटें	महिला सदस्य	प्रतिशत
1952	489	अनुपलब्ध
1957	494	22	4.4
1962	494	31	6.3
1967	520	29	5.6
1971	518	21	4.2
1977	542	19	3.5
1980	542	28	5.2
1984	542	42	7.7
1989	543	29	5.3
1991	543	37	6.8
1996	543	40	7.4
1998	543	43	7.9
1999	543	49	9.0
2004	543	45	8.2
2009	543	59	10.9
2014	543	62	11.4



चित्र 14.6 : विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में
महिलाओं की भागीदारी (स्रोत— www.census2011.co.in/sexratio.php)

छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तुलना करते हुए बताएँ कि दोनों के लिंगानुपात में कितना अन्तर है व क्यों है?

स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में प्रतिनिधि चुने जाने के बाद महिलाओं को किस—किस तरह के अनुभव हुए?

महिलाओं ने राज्य की विधान सभाओं एवं संसद में आरक्षण की माँग क्यों की?

उपरोक्त तालिका में आप देख सकते हैं कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?

किसी समाज में यदि कोई भेदभाव न हो तो लिंगानुपात लगभग समान होता है। भारत के अलग—अलग राज्यों के सन्दर्भ में हम देखते हैं कि लिंग—अनुपात काफी असमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी समाज में अधिकतर लोग लड़का ही चाहते हैं।

महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास

राजनैतिक अधिकारों के साथ—साथ महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भी कई कोशिशें की हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने केवल सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की है, बल्कि अपनी ओर से भी कई प्रयास किए हैं। ऐसे ही एक प्रयास को हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं।

माता राजमोहिनी देवी

माता राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले (वर्तमान में बलरामपुर जिला) के सरसेडा (शारदापुर) गाँव में 7 जुलाई सन् 1914 ई. को एक गरीब कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम वीरदास तथा माता का नाम शीतला देवी था। राजमोहिनी देवी का बाल्यकाल शिक्षा—विहीन व्यतीत हुआ। ग्राम गोविन्दपुर के रंजीत गोड़ से विवाह उपरांत लगभग बीस वर्षों तक उनका जीवन गृहस्थ रूप में बीता। उस समय निरक्षरता के कारण छतीसगढ़ के गाँव—गाँव में अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, मद्यपान जैसी समस्याएँ विकराल रूप धारण कर चुकी थीं।

पुरुष प्रधान समाज में नारी उत्पीड़न को देख उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने गाँव के लोगों को सुखी जीवन की सीख देने का बीड़ा उठाया उनसे गाँव वाले अत्यधिक प्रभावित हुए। शराब की लत के कारण ग्रामवासी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे बल्कि उनमें नैतिक गिरावट भी आ गई थी। उन्होंने शराब—बन्दी के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। हजारों महिलाएँ उनके आन्दोलन में भाग लेने आगे आईं। 28 मार्च सन् 1953 ई. में भट्ठीतोड़ सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 50 हजार लोग शामिल थे। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दुम्बी, सिंगरौली, अगोरी और विजयगढ़, बिहार के राँची और (राँची अब झारखण्ड) पटना, केरल और मध्यप्रदेश की शराब भट्ठियों पर भी पड़ा। इस सत्याग्रह का संदेश था शराब से तन—मन—धन तीनों का नुकसान होता है।

माता राजमोहिनी देवी ने सन् 1963—64 में अखिल भारतीय नशाबंदी सभा के सम्मेलन में शराब—बन्दी पर भाषण दिया। इस भाषण से खुश होकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने उन्हें बधाई भी दी थी। ग्रामवासियों की सेवा के लिए उन्होंने सेवा मण्डल का गठन किया। माता जी को समाज और देश सेवा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल



चित्र 14.7 : माता राज मोहिनी देवी

और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी अंबिकापुर में बधाई दी। समाज के कमज़ोर वर्गों की उत्कृष्ट सेवा के लिए राजमोहिनी देवी को 19 नवम्बर सन् 1986 ई. में इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 25 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी सन् 1994 ई. को ऐसी महिमा मण्डित छत्तीसगढ़ की संत माता का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे।

सरगुजा जिले में महिला सशक्तीकरण के प्रयास

देश व राज्य के अन्य इलाकों की तरह सरगुजा जिले में महिलाओं द्वारा सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की प्रथम महिला जिलाधीश के मार्गदर्शन में महिलाओं के 12,000 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं जिनकी सहायता से महिलाएँ ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हारवेस्टर तथा वैन चालकों के रूप में कार्य कर रही हैं। इनके अलावा सेफटी नेपकिन तथा अण्डों के छिलकों से खाद पाउडर बनाने का काम भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामों से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीण व शहरी महिलाएँ लगातार स्व-रोजगार के कार्यों से जुड़ने का कार्य कर रही हैं।



चित्र 14.8 : सवारी के लिए प्रतीक्षा करती महिलाएँ

माता राजमोहिनी ने सन् में सत्याग्रह शुरू किया।

माता राजमोहिनी देवी के जीवन काल में छत्तीसगढ़ के गाँवों में कौन-कौन सी समस्याएँ थीं?

क्या वर्तमान में ये समस्याएँ विद्यमान हैं? यदि हाँ तो इन्हें दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?

आपके आस-पास, महिला सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए।

शराब से मनुष्य को होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए।

यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ तथा इन्हें रोकने के उपाय

प्रायः अखबारों तथा टेलीविज़न के समाचार चैनल पर ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती है कि परिवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ की घटनाएँ होती हैं। ऐसी घटनाओं में कई परिवारों के पुरुष, लड़के, लड़कियों के परिचित या दूर के रिश्तेदार और कई बार अनजान लोग शामिल होते हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ में लड़कियों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई हरकतें, उन पर की जाने वाली भद्रदी टिप्पणियाँ, गन्दे इशारे तथा दुर्व्यवहार शामिल हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है जिनके साबित होने पर दण्ड दिया जा सकता है। लड़कियों को ऐसे किसी भी अपराध को किसी दबाव की वजह से चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने माता-पिता, बड़े भाई-बहनों, शिक्षिकाओं या अन्य किसी समझदार और विश्वासप्राप्त लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी परिवारों और विद्यालयों में बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। समाज को लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। ऐसा करना सभी की सामाजिक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे अपराधों से न सिर्फ सम्बन्धित लड़कियों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचती है, बल्कि सारे समाज का अपमान होता है। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के सम्बन्ध में पुलिस हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है?

कैश कमेटी

(Committee Against Sexual Harassment; CASH)

इस कमेटी को विशाखा कमेटी भी कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा मुकदमे का फैसला देते हुए यह दिशा-निर्देश दिए कि महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सभी कार्यालयों तथा संस्थाओं, जैसे—स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाओं व कम्पनियों के कार्यालयों आदि में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण कमेटियों अर्थात Committee Against Sexual Harassment का गठन किया जाए। इस कमेटी में सम्बन्धित संस्था या कार्यालय की तीन वरिष्ठ महिला सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। कमेटी के सदस्यों के नामों की जानकारी संस्था के सूचना पट पर स्थाई रूप से लिखी जानी चाहिए ताकि कार्यालय की सभी महिला कर्मचारियों को इसके विषय में पता लग सके। कैश कमेटी की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपनी संस्था में किसी भी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकायत की स्वतंत्र निष्पक्ष जाँच करे। यदि उक्त शिकायत सही पाई जाए तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कमेटी कानूनी और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। कैश कमेटी का गठन करना सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। इनका गठन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संस्था प्रमुख की होती है।



चित्र 14.9 : बदनीयत से भी डरें
और हर नज़र से हम डरें,
फरियाद हम किस से करें गर हाथ
अपनों के बढ़े

इस अध्याय के विभिन्न हिस्सों में हमने जेण्डर शब्द तथा लिंगभेद के विषय में अपनी समझ बनाने की कोशिश की है। हमने कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की है कि महिला और पुरुष आम तौर पर जो कार्य करते हैं, वे उनके समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि स्थिर नहीं हैं तथा इनमें जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ बदलाव हो रहा है। महिलाएँ राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानताओं को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। समानता का विचार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत का संविधान देश के नागरिकों को, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, राजनैतिक समानता का वादा करता है।

परिचर्चा

माता-पिता बच्चों की परवरिश में लिंग आधारित भेदों को दूर कैसे करें?

लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा एवं लक्ष्य हासिल करने में माता-पिता का क्या योगदान हो सकता है?

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनें?

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने में पुरुषों को कैसे संवेदनशील बनाया जा सकता है?

महिला आयोग (Women's Commission)

विगत दिनों काम की तलाश में एक महिला आई। वह लोगों के घर में झाड़—पोंछा, बर्तन का काम करती थी। उसका पति

शराब का बुरी तरह से आदी था। वह मारपीट कर उससे पैसे छीन लेता था, रात में शराब पीकर आता था और अक्सर अकारण उसकी बेरहमी से पिटाई भी करता था। एक दिन उसके मार खाए चेहरे को देखकर, मैंने पूछा तुम इस मारपीट का विरोध क्यों नहीं करतीं? तब उसने एक बेजान सी दलील दी— ‘मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो केवल एक महिला हूँ मेरी कौन सुनेगा?’



इस तरह की बहुत सी महिलाएँ हैं जो विभिन्न कष्टों को झेल रहीं हैं और उन्हें न्याय के लिए महिला पुलिस थानों, न्यायालय या मानवाधिकार आयोग जाने में ज़िङ्गक होती है। इसलिए विशेष तौर पर महिलाओं की समस्या को निपटाने के लिए महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया गया है। महिला आयोग सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए जगह—जगह विविध कार्यक्रम आयोजित करता है।

एक बार एक शिक्षिका महिला आयोग द्वारा शाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई उनके द्वारा दी गई प्रमुख जानकारियाँ आप सभी को भी दी जा रही हैं।

महिला आयोग का गठन महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने तथा सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। महिला आयोग महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण दिलाने, बंदी महिलाओं की स्थिति की जाँच करने, महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बाल विवाह रोकने, अनाथ महिलाओं, विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, कन्या भ्रून हत्या रोकने, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करता है साथ ही, यह महिलाओं को शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक करता है।



महिला आयोग की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?

महिला आयोग पीड़ित महिलाओं को कैसे सहायता करता है?

पता— छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन—13, जल विहार कॉलोनी, रायपुर, फोन 0771—4241400

अभ्यास

प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए —

- अ. जेण्डर क्या है?
 - क) शारीरिक भेद
 - ख) आर्थिक भेद
 - ग) सामाजिक भेद
 - घ) राजनीतिक भेद

- ब. महिलाओं के घरेलू श्रम को समझा जाता है —
 - क) बहुत अधिक आय वाला कार्य
 - ख) बिना किसी मज़दूरी वाला कार्य
 - ग) बिना किसी उपयोग का कार्य
 - घ) महिलाओं का स्वाभाविक कार्य

- स. साफ—सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम पुरुष घर में करना पसन्द नहीं करते लेकिन बाहर ऐसे काम करते हुए दिखते हैं, ऐसा क्यों है?
- क) क्योंकि उससे आय होती है
 - ख) कार्य को सम्मानजनक नहीं माना जाता
 - ग) ऐसे कार्यों के लिए पैसे नहीं मिलते
 - घ) ऐसे कार्यों के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है
- द. बहुत से लोग जेण्डर आधारित भूमिकाओं का पालन करते हैं क्योंकि—
- क) वे पुराने रीति-रिवाजों को मानते हैं तथा उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं।
 - ख) वे ऐसी भूमिकाओं में बदलाव को कानून के खिलाफ समझते हैं।
 - ग) वे सोचते हैं कि भूमिकाएँ बदलने से महिलाओं के साथ अन्याय होगा।
 - घ) उन्हें भूमिकाओं को बदलना कठिन लगता है।

2. रिक्त स्थान की पूर्ति करें –

- क) प्रारम्भ में महिलाओं ने अपने जीवन से जुड़े अधिकारों की माँग की।
- ख) स्थानीय स्वशासन के निकायों में महिलाओं को प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।
- ग) महिलाएँ में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग कर रही हैं।
- घ) महिलाएँ आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बना रही हैं।

3. नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें—

1. महिलाओं के विषय में कौन—कौन से पूर्वाग्रह होते हैं?
2. महिलाओं के घर या बाहर किए जाने वाले कार्यों में मुख्य रूप से क्या अन्तर है?
3. सावित्रीबाई फुले द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था?
4. महिलाओं ने अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया?
5. समाज में जेण्डर भेद किन—किन कारणों से उत्पन्न होता है?
6. अगर महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समान भागीदारी मिले तो इसका महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
7. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस—किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
8. समाज में मौजूद जेण्डर भेद को समाप्त करने के लिए क्या—क्या किया जाना चाहिए?

परियोजना कार्य

1. आपके आस —पास काम करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह कौन—कौन से कार्य कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाइए।
2. महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह से कौन—कौन से लाभ पहुँच रहे हैं? एक केस स्टडी तैयार कीजिए।

